ऑन लाईन नं. GCMS 2025/120

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 36/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री किशनदास, (मालिक व विक्रेता) निवासी वार्ड न. 4, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, मै. Cool Feeling Icecream मकान न. 123, वार्ड न. 18, सेतिया फार्म कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 18.07.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– संख्या प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.05.2025 को समय 11.00 एमएम बजे को मै. Cool Feeling Icecream मकान न. 123, वार्ड न. 18, सेतिया फार्म कॉलोनी, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री किशनदास (मालिक व विकेता)** को अपना परिचय देकर उक्त दुकान का निरिक्षण कर संस्थान पर तैयार हो रहे खाद्य पदार्थ Ice Cream के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान में रखें लगभग 05 किलो खाद्य पदार्थ Ice Cream(Medium fat)(Butter Scotch) को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ Ice Cream(Medium fat)(Butter Scotch) में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ Ice Cream(Medium fat)(Butter Scotch) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री किशन दास (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री किशनदास (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ लगभग 05 किलो Ice Cream(Medium fat)(Butter

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Scotch) में से 01 किलो को वजनी कर मालिक से खरीद कर लिया। मालिक को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ Ice Cream(Medium fat)(Butter Scotch) का नगद भुगतान 400 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Ice Cream(Medium fat)(Butter Scotch) को एकरूप कर बराबर भागों में 300–300 ग्राम में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 36–36 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेवलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2829** दर्ज किया प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2829 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री किशनदास (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./684/Act/2025/684 Dated 27.05.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2829 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री किशनदास, (मालिक व विक्रेता) निवासी वार्ड न. 4, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, मै. Cool Feeling Icecream मकान न. 123, वार्ड न. 18, सेतिया फार्म कॉलोनी, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर Ice Cream(Medium fat)(Butter Scotch) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 19.06.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी कुल फिलींग आईसकीम विकय का कारोबार करता है। प्रार्थी की फैक्टरी से आईसकीम मिडियम फैट(बटर स्कोच) का सैम्पल लिया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार आईसकीम मिडियम फैट सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा उक्त आईसक्रीम तैयार करने के लिए दूध बाजार से क्रय किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा आईसक्रीम तैयार करते समय किसी प्रकार की काई मिलावट नहीं की गई है। प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन आईसक्रीम का कारोबार है। प्रार्थी इसी कारोबार से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण का फैसला करवाना चाहता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए लोक अदालत की भावना के दृष्टिगत प्रकरण का निर्णय किये जाने की अनुकम्पा करें।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Ice Cream(Medium fat)(Butter Scotch) का सैम्पल **K-2829** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./684/Act/2025/684 Dated 27.05.2025 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी इसी कारोबार से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण का फैसला करवाना चाहता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए लोक अदालत की भावना के दृष्टिगत प्रकरण का निर्णय किये जाने की अनुकम्पा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Ice Cream(Medium fat)(Butter Scotch)** bearing code No. K-2829 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food** as extracted fat does not conform the standard of milk fat as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री किशनदास,** (मालिक व विक्रेता) मै. **Cool Feeling Icecream** मकान न. 123, वार्ड न. 18, सेतिया फार्म कॉलोनी, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री किशनदास,** (मालिक व विक्रेता) मै. **Cool Feeling Icecream मकान न. 123, वार्ड न. 18, सेतिया फार्म कॉलोनी,** श्रीगंगानगर को **राशि रूपये 10,000—00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner